न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 20/2014

अपीलांट

1. रामाराम पुत्र अणदारामजी
2. पूनाराम पुत्र अणदारामजी
3. बुद्धाराम पुत्र अणदारामजी
4. वनाराम पुत्र अणदारामजी
5. अमराराम उर्फ उम्मेदाराम पुत्र उदारामजी
6. कूपाराम पुत्र हीरारामजी जातिगण जाट निवासीगण कालीजाल तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. डोली बनाम रघुनाथजी महाराज जरिये तहसीलदार रोहट
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट
3. मोहनदास पुत्र सेवादास जाति वैष्णव निवासी ठीकाना नृसिंह टॉकिज के सामने, हाथी घोडा मंदिर, पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 03 बावजूद सूचना अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक : 30.08.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 27/10 में पारित निर्णय दिनांक 27.12.13 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के हद तक गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद डूंगरपुर के खसरा नंबर 165 रकबा 135 बीघा के संबध मं प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से जरिये पंजीबद्ध विक्रय–पत्र द्वारा दिनांक 16.07.74 को खरीद की थी। उस वक्त वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के नाम खातेदारी की राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उसके पश्चात अपीलांटगण का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर क्रेता दर्ज हुआ। अपीलांट के पक्ष में पारित म्यूटेशन संख्या 00 बाबत रेफरेंस हुआ, जिसमे माननीय राजस्व मंडल ने उक्त म्यूटेशन को निरस्त कर वादग्रस्त आराजी को डोली बनाम रघुनाथजी महाराज के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई। जिसमें न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.04.2015 में यह फाईन्डिंग दी गई कि म्यूटेशन निरसती का आदेश फिस्कल जाचं है, अपीलांट नियमित वाद प्रस्तुत कर सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते है। और उक्त वाद को न्यायालय मैरिट पर निर्णीत करेगा, जिसमे उक्त रेफरेंस प्रकरण में पारित आदेश का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। वादग्रस्त आराजी के संबध में सर्वप्रथम वाद सहायक कलक्टर पाली न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जो पश्चातवर्ती क्रम में सहायक कलक्टर अर्थात उपखंड अधिकारी रोहट के न्यायालय में अंतरित हुआ। जिसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया। एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 03 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलांटगण ने अपनी साक्ष्य में गवाहो के बयान करवाये। रेस्पोडेन्ट की ओर से पटवारी हल्का का बयान करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2011 को तनकीयात कायम की गई। तत्पश्चात दोनो पक्षो की साक्ष्य प्रस्तुत हुई। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकीवार निर्णय पारित किये सरसरी तौर से बिना साक्ष्य का अवलोकन किये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण की खरीदशुदा आराजी है। वक्त खरीद उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की खातेदारी में दर्ज थी। वादग्रस्त आराजी कभी भी डोली अथवा मंदिर की खातेदारी अथवा खुदकाश्त की नहीं रही है। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 03 को विधिवत खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 वादग्रस्त आराजी का स्वयं खुदकाश्त का टिनेन्ट था। इस कारण धारा 9 जागीरी एक्ट 1952 तथा धारा 19 (1ए) एवं धारा 13 व 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मोहनदास को विधिवत खातेदारी दर्ज किया गया था। उसी हैसियत से मोहनदास ने अपीलांट को वादग्रस्त आराजी बेचान की थी। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट पिछले 40 वर्षो से बतौर खातेदार के रूप में काबिज है। अपीलांटगण के पक्ष में पंजीबद्ध विक्रय–पत्र आज भी अस्तित्व में है। और वैध है। जब तक उक्त विक्रय–पत्र को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है उसके आधार पर अपीलाटगण विधिक रूप से वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है।

अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी पर 1974 से आज दिनांक तक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी सूरत में प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा के अनुरूप भी अपीलांट वादग्रस्त आराजी के खातेदार हो चुके है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य कें विपरित जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद डूंगरपुर के खसरा नंबर 165 रकबा 135 बीघा के संबध मं प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 वादग्रस्त आराजी का सद्भावी काश्तकार नहीं होकर मात्र मंदिर का पुजारी रहा है। मंदिर की भूमि ाश्वत नाबालिग मूर्ति के नाम होती है एवं नाबालिग के हित संरक्षित होते है। बंदोबस्त अधिकारियो ने मंदिर की भूमि के खातेदारी अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 03 को प्रदान किये। जिसका बंदोबस्त अधिकारियो को कोई अधिकार नहीं था। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 03 को प्राप्त खातेदारी अधिकार भी अवैध व शून्य है। उक्त अवैध व शून्य अधिकारो के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा अपीलांटगण को किया गया बेचान भी अवैध व शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद डूंगरपुर के खसरा नंबर 165 रकबा 135 बीघा के संबध मं प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। वादग्रस्त आराजी मिसल हकीयत के समय मंदिर श्री रूघनाथजी वाके देह बएतमाम पुजारी दर्ज थी। मंदिर की भूमि नाबालिग मूर्ति के नाम होती है। जिसके हित सुरक्षित है। मंदिर की भूमि की खातेदारी अन्य के नाम नहीं हो सकती है। किन्तु बंदोबस्त अधिकारियो ने बिना किसी सक्षम आदेश के अन्तर्गत धारा 13 के तहत उक्त मंदिर की भूमि राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के नाम दर्ज कर दी। जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था। बंदोबस्त अधिकारियो को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजो का दोहराने का अधिकार था। उक्त राजस्व रेकर्ड के इन्द्राजो को बदलने का कोई अधिकार नहीं था। जिससे बंदोबस्त अधिकारियो द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 कौ दिये गये खातेदारी अधिकार शुरू से अवैध व

शून्य है। जिससे वादग्रस्त आराजी के संबध में रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा अपीलांटगण को किया गया बेचान भी शुरू से शून्य व अवैध है। अब जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रश्न है अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रजिराम में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि ऑफ गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद में भी यह प्रतिपादित किया कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती, चाहे उसका कब्जा सम्वत् 2013 से लगातार ही क्यों न हो। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो व कानूनी बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए जेर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 27/10 में पारित निर्णय दिनांक 27.12.13 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली